भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4331

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: उत्तर प्रदेश में बाढ़ से कृषि क्षेत्र को नुकसान

4331. श्री राम शिरोमणि वर्माः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों में, बाढ़ के कारण कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन जिलों में प्रभावित किसानों की संख्या सहित हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन जिलों के लिए कोई विशेष राहत पैकेज, फसल बीमा भुगतान या कृषि पुनर्वास योजना को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो वित्तीय आवंटन, सहायता वितरण का जिला-वार ब्यौरा क्या है और श्रावस्ती तथा बलरामपुर जिलों में लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) के अनुसार, क्षति का आकलन और जमीनी स्तर पर राहत उपाय प्रदान करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित लाजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें, भारत सरकार (जीओआई) के अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार उनके पास पहले से उपलब्ध अपने राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। तथापि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता मुआवजे के रूप में न होकर राहत के रूप में है। राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

विभिन्न आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान, प्रभावित किसानों तथा एसडीआरएफ से प्रभावित किसानों को वितरित की गई राशि का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान एनडीआरएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग करते हुए कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत नामांकित किसान आवेदनों, लाभान्वित किसानों और भुगतान किए गए दावों का विवरण निम्नानुसार है:

ज़िला	**2022-23**			**2023-24**			**2024-25**		
	नामांकित किसानों के आवेदन	लाभान्वित किसान आवेदन	भुगतान किए गए दावे	नामांकित किसानों के आवेदन	लाभान्वित किसान आवेदन	भुगतान किए गए दावे	नामांकित किसानों के आवेदन	लाभान्वित किसान आवेदन	भुगतान किए गए दावे
	(संख्या)		**(रुपये करोड़ में)**	**(संख्या)**		**(रुपये करोड़ में)**	**(संख्या)**		**(रुपये करोड़ में)**
बलरामपुर	***30,372***	***15,730***	***13.19***	***21,408***	***2,870***	***1.09***	***43,342***	***3,671***	***0.83***
श्रावस्ती	***47,303***	***17,245***	***19.05***	***79,106***	***1,270***	***0.23***	***1,33,696***	***288***	***0.13***
कुल	**77,675**	**32,975**	**32.24**	**1,00,514**	**4,140**	**1.32**	**1,77,038**	**3,959**	**0.96**

अनुबंध ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई फसल क्षति का विवरण

2022-23						
ज़िला	आपदा की प्रकृति	प्रभावित किसान (.सं)	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)	लाभान्वित किसानों की सं.	**फसलों के नुकसान के लिए जारी धनराशि (लाखों में)**	**अन्य**
बलरामपुर	**बाढ़**	**42109**	**12402.6764**	**42109**	**2242.92**	**0**
श्रावस्ती	**बाढ़**	**84020**	**19195.5373**	**84020**	**2516.67543**	**0**
कुल		**126129**	**31598.21**	**126129**	**4759.595**	**0**

2023-24						
ज़िला	आपदा की प्रकृति	प्रभावित किसान (.सं)	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)	लाभान्वित किसानों की सं.	**फसलों के नुकसान के लिए जारी धनराशि (लाखों में)**	**अन्य**
बलरामपुर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
श्रावस्ती	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024-25						
ज़िला	**आपदा की प्रकृति**	**प्रभावित किसान (.सं)**	**प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**लाभान्वित किसानों की सं.**	**फसलों के नुकसान के लिए जारी धनराशि (लाखों में)**	**अन्य**
बलरामपुर	**बाढ़**	**1225**	**231.3801**	**1225**	**90.18**	**0**
श्रावस्ती	**बाढ़**	**1406**	**603.5621**	**1406**	**64.68221**	**0**
कुल		**2631**	**834.9422**	**2631**	**154.8622**	**0**

स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार।

*****